



Neutral Citation Number- 2026:AHC:31874

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-5740/2026

जयंती पाल और 19 अन्य

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: दीपक कुमार पाल

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: अरुण कुमार पांडे, सी.एस.सी.

न्याय कक्ष संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि संबंधित प्रत्यर्थी को निर्देश दिया जाए कि वह उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 76(1)(डीडी) के प्रावधानों के अनुसार, याचिकाकर्ता का नाम श्रेणी -3 से श्रेणी 2 में दर्ज करे।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-3/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील-शाहबाद, जिला-रामपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है और काफी समय बीत चुका है, परंतु आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ता नए सिरे से आवेदन दायर करेंगे, तो प्रत्यर्थी संख्या- 3 मामले में शीघ्रता से उचित आदेश पारित करेगा।

4. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से दो सप्ताह के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रत्यर्थी संख्या-3/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील-शाहबाद, जिला-रामपुर के समक्ष एक नया आवेदन प्रस्तुत करे। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करता है, तो प्रत्यर्थी संख्या-3 उसके बाद दो सप्ताह के भीतर, कानून के पूर्णतः अनुरूप, इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

12 फरवरी, 2026

सकलैन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”